


91

न्यायालय - माननीय राजस्व मंडल गवालियर, म०प्र० कैम्प रोड  
म०प्र० ॥ निगरानी 2522-II-15

225  
27-6-15



Rs. 20/-

राजस्व निगरानी क्रमांक -----

तकी मोहम्मद खिन्नीकी तन्म स्व० शेखरजा खिन्नीकी उम्र 87 साल  
निवासी बैटन तहसील सिंगरौली जिला सिंगरौली, हा ल मुकाम  
अमहा सीधी, तहसील गौपदबनास जिला सीधी म०प्र० -----

----- आवेदक/निगरानीकर्ता

श्री. आर. डी. कुशवाहा पुत्र  
द्वारा आज दिनांक 27-6-15 के  
प्रस्तुत किया गया।

बनाम,

1 - श्री मती फिरोज बेगम पत्नी हाजी मो० बाबुल निवासी बैटन  
सिंहरी कोर्ट रोड तहसील सिंगरौली जिला सिंगरौली म०प्र०

2 - आशफा बेबी बेजा आशिक मोहम्मद निवासी बैटन तहसील सिंगरौली  
जिला सिंगरौली म०प्र०

3 - मोह० सादिक पिता आशिक मोहम्मद निवासी बैटन तहसील  
सिंगरौली जिला सिंगरौली म०प्र० ----- अनावेदकगण

क्रमांक -----  
रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज  
दिनांक ----- को प्राप्त

क. उ. न्यायालय  
राजस्व मंडल गवालियर

निगरानी  
राजस्व प्रकरण क्रमांक - 32/अ-70/14-1  
में न्यायालय तहसीलदार सिंगरौली जिला  
सिंगरौली द्वारा पारित आदेश दिनांक -  
6.5.2015 के विरुद्ध पुनरनिरीक्षण  
पुनरनिरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 म०प्र० भू  
राजस्व संहिता, 1959

मान्यवर,

आवेदक की ओर से निम्नांकित आधारों पर निगरानी  
प्रस्तुत है : ---

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर  
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक R. 2522- 4115

जिला- सिंगरी

पक्षकार का नाम लकी मोहम्मद सिद्दीकी / लकीमती फिरोज बेगम

(1)	(2)	(3)
28.12.17	<p>प्रकरण प्रस्तुत ।</p> <p>2-आवेदक तथा आवेदक अधिवक्ता की पुकार कराई गई किन्तु कोई उपस्थित नहीं। अतः संहिता की धारा 35 (2) के तहत प्रकरण आदम पैरवी में खारिज किया जाता है।</p> <p>3- आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे। तत्पश्चात प्रकरण पंजी से समाप्त होकर अभिलेखागार में संचय हेतु भेजा जावे।</p> <p style="text-align: right;">सादर</p>	